



कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी., चंडीगढ़



आपकी पहचान गोपनीय रखकर भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक प्रणाली

जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है?

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?

- ऐसी शिकायत सचिव, सीवीसी को संबोधित की जानी चाहिए और लिफाफे के ऊपर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि अंदर बंद लिफाफे में लिखे पत्र में अंकित होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय बनाये रखना सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश :-

- ऐसी शिकायतें जो शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उससे पहचान का खुलासा हो सकता है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज़ शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए। जैसे: आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पते का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- गुमनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें <https://www.cvc.gov.in>